

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज नदालत सहायक कलेक्टर मुकाम दौसा

मूला बनाम कल्लो

किरम मुकदमा दौसा नं. 08 सन् 4-2-21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4 <sup>2</sup> / <sub>2021</sub>	<p>वादी के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शुभा, एडवोकेट द्वारा वाद पत्र क्रिमा शुभा जे दर्ज राजिस्टर क्रिमा जावे (प्रतिवादी पत्र को नोटिस जाहे डेर क प्रभावले क्रिमांक 17-3-2021 को पेश हो।</p>	<p>केस नं. 293-99 दौसा</p>
10 <sup>2</sup> / <sub>2021</sub>	<p>वादिमा मूलादेवी द्वारा मय अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रभावली को निमत दिनांक 17-3-2021 से तलब कर निवेदन करने स्वयं वाद विद्वा करने वास्तु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रभावली निमत दिनांक 17-3-2021 से तलब होकर आज पेश हुई। वादी द्वारा वाद विद्वा करने वास्तु प्रार्थना-पत्र व प्रभावली का श्रवण करन क्रिमा शुभा / पक्षकारान के मध्य आपसी समझौता हो जाने के कारण वादिमा प्रकार को आगे नहीं चलाकर वाद विद्वा करना चाहती हैं। अतः दोनों प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाते हैं। वादी द्वारा प्रकार को आगे नहीं चलाकर वाद विद्वा करने से वादिमा का वाद स्वीकृत क्रिमा जाता है। प्रभावली के मूल शुभा होकर जम्मा से कम होकर प्रतिष्ठ लेव भ्रष्ट हो।</p>	<p>अ. जि. मूला दौसा</p>

सहायक कलेक्टर  
दौसा (जि. दौसा)

